

9.5.17. पञ्जाबी राजान को अदालत कम फाँस में  
से देश छोड़, निर्णय सुनकर ही छोड़ा जाकर  
शाही का इलाका गया। पञ्जाबी कुतल सुमार  
होकर नम्बर से कम ही जाये।

1. श्री घीसुलाल पिता श्री प्रभूलाल ब्राह्मण निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री श्यामलाल पिता कल्याण शर्मा, निवासी जित्याखेडी, हाल नि० ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री मदनलाल पिता कल्याण शर्मा, निवासी जित्याखेडी, हाल नि० ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्री नारायण पिता किशन शर्मा, निवासी जित्याखेडी, हाल नि० ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्री चतुर्भूज आत्मज किशन शर्मा, निवासी जित्याखेडी, हाल नि० ब्रह्मपुरी, तहसील व जिला भीलवाडा
5. श्री भंवर पिता बालूलाल शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
6. श्री कालू पिता बालूलाल शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
7. श्री रामलाल पिता बालूलाल शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
8. श्री शंकरलाल पिता रामचन्द्र शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
9. श्री लादूलाल पिता मांगीलाल शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
10. श्री नारायण पिता रामेश्वर शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
11. श्री गोपी पिता रामेश्वर शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
12. श्री गोपाल पिता रामचन्द्र शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
13. श्री भवानीराम पिता श्री भैरू गाडरी निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
14. श्री सत्यनारायण पिता कल्याण शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
15. श्री काना पिता काशीराम गाडरी निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
16. श्री मोहनलाल पिता रामसुख शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
17. श्री धन्नालाल पिता चुन्नीलाल शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
18. श्री रामप्रसाद पिता मगनीराम शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
19. श्री अमरचन्द्र पिता काशीराम गाडरी निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
20. श्री काना पिता गुलाब गाडरी निवासी जित्याखेडी तहसील व जिला भीलवाडा
21. श्री सुवालाल पिता रामसुख शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
22. श्रीमति गीतादेवी पत्नी राधाकिशन शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
23. श्री बद्रीलाल पिता श्रीकिशन शर्मा निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
24. श्री जमना पिता प्यारा गाडरी निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
25. माहनी पुत्री नारायण गाडरी निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
26. श्री डूंगर पुत्र लालू गाडरी निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
27. श्री कालू पिता नारायण गाडरी निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
28. श्री सेवा पिता नारायण गाडरी निवासी जित्याखेडी हाल नि० ब्रह्मपुरी तहसील व जिला भीलवाडा
29. श्री लादूलाल पिता मथुरा लाल शर्मा निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा
30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128

राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक 09.05.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू राज० अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 15.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जित्याखेडी प० ह०-दांथल, भू.अ.नि. क्षेत्र-दांथल, तहसील व जिला भीलवाडा में प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 345 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी सं० 492 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी सं० 495 रकबा

01 बीघा 07 बिस्वा, आराजी सं0 496 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, आराजी सं0 513 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात के विपक्षीगण पड़ीसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी संख्या 01 से 29 उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी आदेश से राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

### आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील व जिला भीलवाडा के ग्राम जित्याखेडी प0ह0 दांथल में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 345 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी सं0 492 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी सं0 495 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, आराजी सं0 496 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, आराजी सं0 513 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी मे फसल कट जाने के पश्चात् 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा दें। प्रार्थी इस कार्य के लिए तहसील भीलवाडा में रूपये 900/- अक्षरे नो सौ रू0 बतौर खर्चा सरकारी मद में जमा करायेंगे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिशनर फीस 500/- अक्षरे पाँच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)  
सुपरीन्डेंट अधिकारी  
भीलवाडा